# न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 33/अपील/2024 | 08.07.2023 | 10.12.2024 |
| ( GCMS No. 2024/99 ) | | |

गायत्री पत्नी स्व. सुधीर कुमार जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील व जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

1. अनिल शर्मा आ. स्व.जगदीश शर्मा, जाति ब्राहमण,
   निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील व जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
3. उप पंजीयक, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो. सं. 2, 3 की ओर से पेरोकार सरकार

## निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 20/22 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन निर्णय वसीयतनामा के आधार पर पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 33/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/99 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं.1 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 15.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार सुनी गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के दादीससुर रेवतीलाल वल्द कन्हैयालाल कौम ब्राहमण को उत्तराधिकार में भूमि खसरा संख्या 847 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं. 848 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं. 850 रकबा 0.7536 हैक्टेयर, ख.सं. 851 रकबा 0.1769 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.7457 हैक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलांट के दादीससुर रेवतीलाल का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि के अलावा रेवतीलाल की खातेदारी की अन्य पैत्तृक व पुश्तैनी भूमि ख.सं. 28, 28/1981 रकबा 3.8296 हैक्टेयर वाके ग्राम गांधीग्राम में स्थित है। इसके साथ ही रेवतीलाल की अन्य पैत्तृक व पुश्तैनी भूमि ख.सं. 1823, 3631 कुल रकबा 4.6447 हैक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा में स्थित है। खातेदार रेवतीलाल का लगभग 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। रेवतीलाल के 5 पुत्र क्रमशः जगदीश, रमेशचन्द, सोमनाथ, हरिश्चन्द्र, राकेश शर्मा व 3 पुत्रियां धनकंवर, राधाबाई, स्नेहलता व पत्नी रामप्यारी वारिसान व उत्तराधिकारी है। जिनमें से 2 पुत्र जगदीश व सोमनाथ एवं पत्नी रामप्यारी का देहान्त हो गया हैं। मृतक जगदीश के 3 पुत्र सुधीरकुमार, सुनीलकुमार, अनिल शर्मा व 1 पुत्री सविता एवं पत्नी निर्मला वारिसान हुये, जिनमें से सुधीर कुमार, अनिल कुमार व निर्मला का देहान्त हो गया है। सुधीर कुमार की एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी वैध विवाहिता पत्नी अपीलांट गायत्री मौजूद है। सुधीर कुमार का देहान्त लगभग 30–40 साल पहले हो गया, उसके बाद अपीलांट लिव इन रिलेशनशिप में सुनीलकुमार के साथ रहने लगी, वर्तमान में सुनील कुमार का भी दिनांक 18.04.2024 को देहान्त हो गया। रेस्पो.सं0 1 अनिल शर्मा ने छल व कपटपूर्वक धोखाधडी करके भूमि खसरा संख्या 847 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं.848 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं. 850 रकबा 0.7536 हैक्टेयर, ख.सं. 851 रकबा 0.1769 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.7457 हैक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा में निहित रेवतीलाल जी के 1/2 हिस्से को हडपने की नीयत से एक फर्जी जाली व कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 07.10.1987 का निष्पादित होना बताकर रेस्पो.सं. 02 के यहां नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवतीलाल के विविध वारिसान को न तो विधिवत नोटिस या सूचना दी गयी और न ही वारिसान के बयान, साक्ष्य दर्ज किये गये। नोटिसों के विधिवत तामील कराये बिना एक तरफा कार्यवाही करके वारिसान के सुनवाई के कानूनी अधिकार का हनन करते हुये उक्त फर्जी वसीयतनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिनांक 28.02.2024 पारित कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि 35 वर्ष पुराने उक्त वसीयतनामा की जानकारी रेवतीलाल के किसी वारिसान को नहीं थी। खातेदार रेवतीलाल के 05 पुत्र, 03 पुत्रियां, पत्नी, 04 पौत्र, 03 पौत्रियां मौजूद होते हुये भी एक अकेले रेस्पो.सं0 1 अनिल शर्मा के नाम वसीयत निष्पादित करना अपने आप में ही संदेहास्पद है। रेवतीलालजी की मृत्यु के बाद 15 वर्षों

जिला कलेक्टर बून्दी

तक भी रेस्पो.सं. 01 द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही नहीं की गयी, और न ही उक्त वसीयतनामा को कभी प्रकट किया। इससे उक्त वसीयतनामा प्रथमदृष्टया ही जाली, फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणित होता है। इन तथ्यों पर गौर न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोटा में निष्पादित करवाये गये उक्त वसीयतनामा के स्टाम्प के बाबत स्टाम्प वेण्डर व नोटेरी पब्लिक के बयान दर्ज नहीं किये गये। वसीयत पर दोनों गवाह भी रेस्पो.सं.01 के मिलने वाले है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय किस कृषि भूमि के संबंध में, किस धारा में व किस कानून के तहत पारित किया गया, यह निर्णय में अंकित नहीं हैं। अपीलांट को दिनांक 05.06.2024 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई, तब दिनांक 11.06.2024 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त होते ही यह अपील अवधि मध्य पेश की गयी। यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावें तो देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलांट इस अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर रहा है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2024 की जानकारी दिनांक 05.06.2024 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी खसरा संख्या 847 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं. 848 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, ख.सं. 850 रकबा 0.7536 हैक्टेयर, ख.सं. 851 रकबा 0.1769 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.7457 हैक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा का खातेदार रेवतीलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 था। खातेदार रेवतीलाल द्वारा निष्पादित नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा दिनांक 07.10.1987 के आधार पर न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल नं. 20/2022 पर हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 28.02.2024 पारित किया गया। इस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए हस्तगत अपील पेश की गई है।

जिला कलक्टर बून्दी

अपीलांट की आपत्तियां रही है कि रेवतीलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामा 35 वर्ष पुराना है जिसकी जानकारी रेवतीलाल के किसी वारिस को नहीं है। रेवतीलाल ने उम्र के आखिरी पड़ाव में वसीयत नहीं कर अपनी मृत्यु से 20 वर्ष पूर्व ही उक्त वसीयत की गई है। रेस्पो.सं. 1 के अलावा अन्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र, पौत्रियां जीवित मौजूद होने के बावजूद भी केवल रेस्पो.सं. 1 के पक्ष में ही वसीयत करना संदेहास्पद है। वसीयत कोटा में निष्पादित की गई जिसके स्टाम्प वेंडर के बयान नहीं लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिसान की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की उक्त आपत्तियों के संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि वसीयत पुराने होने से, वसीयतकर्ता की मृत्यु से काफी समय पहले निष्पादित होने से, वसीयतकर्ता के अन्य वारिस जीवित होने से, वसीयत को सार्वजनिक नहीं किये जाने से, स्टाम्प वेंडर के बयान नहीं लिये जाने से, कोटा या अन्य स्थान पर निष्पादित किये जाने से किस विधिक प्रावधान की किस प्रकार अवहेलना हुई है, अपीलांट द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यदि अपीलांट को उक्त वसीयत से कोई आपत्ति है तो इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व विधिक वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि अनिल शर्मा द्वारा तहसीलदार बून्दी को दिनांक 28.06.22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.09.22 को पेश की गई। तत्पश्चात अपीलांट सहित अन्य विधिक वारिसान को तीन बार नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में बावजूद सूचना पक्षकारान के उपस्थित नहीं होना अंकित है। इसके बाद वसीयत में वर्णित वसीयतग्रहिता, इसके भाई, गवाहान के बयानात लिये गये, जिसमें वसीयत को सही होना बताया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.02.2024 को पारित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अपीलांट का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। उक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर बून्दी